30/01/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। वकील उभयपक्ष की बहस उपरान्त न्यायालय यह पाता है कि प्रकरण में वाद की पत्रावली में कई मौका चिन्हिकरण रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर वकील वादी का वाद खारिज हो चुका है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को चलाने का कोई औचित्य प्रतीत नही होता है। अतः वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को खारिज किया जाता है। पत्रावली दर्ज नंबर से कम होकर फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	दी। निर्णय आज दि० 30.01.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।